

उपखण्ड अधिकारी  
सुमेरपुर, जि.पाली (राज.)

Date-3/5/2017

वकील वादी अनु. सरकार परी-उप.।


पत्रावली अवलोकन  
से पाया गया कि यह पत्रावली  
गत दिनांक 17/10/2012 से लगाय  
आ दिनांक तक प्रतिवादी से  
(5) एवं (12) लगाय (15) की तक  
हेतु P/f सम्मन पेश करने बावजूद  
पिचाराहीत रही है वकील वादी  
को P/f सम्मन पेश करने हेतु  
पत्रावली व अनेक अवसर दिखे  
आने के बावजूद पालना अनिश्चित  
नहीं की है जो कि CPC प्रावधानों  
का खण्ड 3 एवं 4-ए वकील  
वादी को आगे और अवसर दिना

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नं  
तारी

जाना उचित प्रतीत नहीं होता  
है। सर्व दिनांक 19/11/2017 एवं  
23/12/2017 को सर्वथा अंतिम से  
अंतिम अवसर प्रिये भा लुकेई.  
अतः शागे अनुपस्थित रूप से  
प्रकरण की कार्यवाही को लांबित  
रखना न्याय हित में उचित  
प्रतीत नहीं होता है अतः वकील  
वादी द्वारा यह पत्र Non  
Compliance of order में  
धारित किया जाता है पत्रावली  
जिलाल में कुमार वगैरह से  
कम होकर दारिद्र्य दृष्टा हो

  
उपखण्ड अधिकारी  
धुमेपुर, जिला-पाली